



81

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

मिा 3631 I/2015

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला जबलपुर

झुन्नीलाल गौड़ आत्मज स्व. सुन्दर गौड़  
निवासी 11, नानाखेड़ा तहसील व  
जिला जबलपुर

श्री. श्री. ५५०७९  
द्वारा आज दि. 6-11-15 को — आवेदक  
प्रस्तुत

कलक २५/११/१५  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

**विरुद्ध**

- 1- श्री महाजन सेन आत्मज सुखलाल  
निवासी 2188, मेडीकल गोल क्वाटर  
के पीछे श्री अम्बेडकर चौक  
तहसील व जिला जबलपुर
- 2- श्री रमेश श्रीपाल आत्मज स्व. प्यारेलाल  
निवासी म.नं. 107, ग्राम सिवनी टोला  
सिवनी तिलवारा घाट, तह. व  
जिला जबलपुर

म0प्र0 शासन द्वारा  
कलेक्टर, जिला जबलपुर

— अनावेदकगण

Deluted  
6/11/15

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 346/अ-21/2013-14 में पारित  
आदेश दिनांक 19-10-15 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के  
तहत निगरानी ।

माननीय महोदय,


आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।
- 2- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नानाखेड़ा प0ह0नं0 33/26 रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर में भूमि खसरा नंबर 111/2

श्री

झुन्नीलाल

R 3631. I/15 (नम्यु)

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभा. को आदि के हस्ताक्षर   |
|------------------|---|--|
| 15-3-16          | <p>आवेदक की ओर से अभिभाषक धमेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक क. 2 शासन की ओर से अभि. श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण नोट-प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया । शासकीय अभि. को कोई आपत्ति नहीं है । अतः प्रकरण आवेदक अभि. के अनुरोध पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p style="text-align: center;"><br/>सदस्य</p> | <p style="text-align: right;"><i>Astam</i><br/>15/03/2016<br/>3/15/15-15/15/15<br/>41~</p> |

*R*  
*15/3*